25

भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968

अनुक्रमणिका

नियम सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ	196
2.	लागू होना	196
3.	अतिष्ठान	196
4	परिभाषाएँ	196
5.	पट्टा कब दिया जायेगा	197
6.	पट्टे की कालावधि, नवीनीकरण	197
7.	पट्टा देने का ढंग	197
8.	पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी	197
9.	नीलामी के लिये प्रक्रिया	197
10.	अग्रिम धन का वापस करना	201
11.	पट्टों की मंजूरी का जारी किया जाना	201
12.	सफल बोली लगाने वाले का आख्यापन	201
13.	करारों का निष्पादन	201
14.	पट्टे अन्य प्रणालियों से भी दिये जा सकेंगे	201
15.	पट्टों की साधारण शर्तें	201
16.	विवादों का विनिश्चिय	203
17.	[विलोपित]	203
18.	विनिर्माण करने का अधिकार	203
19.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	203
20.	भूलों की परिशुद्धि	204
21.	नियमों का शिथिलीकरण	204
22.	अप्राधिकृत कार्यकरण	204
	अनुसूची I—सज्जी और पापड़ खार के वर्गीकृत क्षेत्र	204
	प्रपत्र-I ठेके की सूचना	205
	अनुसूची II—प्रारूप II (नियम 13)	208–214

25

भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968

जी.एस.आर. 75—राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम 15) की धारा 89 और 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, जो उन शर्तों को शासित करते है जिन पर कि पापड़ खार तथा सज्जी विनिर्मित करने के प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य में भूमि आवंटित की जा सकेगी, अर्थात्:

नियम 1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का नाम भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968 है।

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) ये राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 2. लागू होना—इन नियमों में राजस्थान राज्य में पापड़ खार और सज्जी उत्पादन के लिये वर्गीकृत क्षेत्रों में भूमि आवंटन की शर्तें शासित होंगी।

नियम 3. अतिष्ठान—इन नियमों के प्रवृत्त होने पर राजस्थान पापड़ खार सज्जी एण्ड साल्डपीटर प्रोड्यूसिंग एरियाज लीज रूल्स, 1964 अथवा कोई अन्य नियम, जिनमे इन पदार्थों के विनिर्माण के लिये भूमि का आवंटन प्रशासित होता है, अतिष्ठित हो जायेंगे,

परन्तु—

(i) इस अतिष्ठान का, इस प्रकार अतिष्ठित किये नियमों के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन की गई किसी कार्यवाही पर या पापड़ खार और सज्जी बनाने के लिये दिये गये पट्टे पर कोई प्रभाव नहीं होगा;

(ii) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से समस्त आवंटन, जो अतीत में किसी भी प्राधिकार के अधीन किये गये हों, इन नियमों से शासित होंगे, जब तक कि सन्दर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,

नियम 4. परिभाषाएँ—जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,—

(i) "वर्गीकृत क्षेत्र" से पापड़ खार अथवा सज्जी के विनिर्माणार्थ आवंटन हेतु पृथक् रखा हुआ भूमि-क्षेत्र अभिप्रेत है जैसा कि अनुसूची I में विनिर्दिष्ट है, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर उस अनुसूची में क्षेत्रों को जोड़ सकेगी या उसमें से उन्हें लोपित कर सकेगी;

(ii) "निदेशक" से निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग राजस्थान, जयपुर अभिप्रेत है;

(iii) "प्ररूप से अनुसूची I में विर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;"

(iv) "सरकार" से राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(v) "पट्टे" से पापड़ खार अथवा सज्जी, यथास्थिति का उत्पादन करने वाली किसी वर्गीकृत क्षेत्र का पट्टा अभिप्रेत है;

1. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) dated 9-8-1979.

(vi) "पापड़ खार" से रेह नामक मिट्टी पर जमी सफेद पपड़ी से निकाले गये पदार्थ अभिप्रेत है और जिनमें मलयुक्त सोडियम कारबोनेट, सोडियम बाईकार्बोनेट, सोडियम क्लोराईड तथा सोडियम सल्फेट के रूप में संघटक हैं;

(vii) "सज्जी" से लाणा और कंगण नामक पौधों को जलाने से प्राप्त होने वाले पदार्थ अभिप्रेत है और जिसके मुख्य संघटक सोडियम, पोटाशियम एवं कैल्शियम के लवण है;

(viii) "अनुसूची" से इन [1](नियमों से संलग्न) अनुसूची अभिप्रेत है।

नियम 5. पट्टा कब दिया जायेगा—पट्टा पूर्व संविदाओं का अवसान या समाप्ति होने पर अथवा नये क्षेत्रों को वर्गीकृत क्षेत्र घोषित किये जाने पर दिया जायेगा।

नियम 6. पट्टे की कालावधि, नवीनीकरण—(1) सज्जी के लिये पट्टे की कालावधि एक वर्ष होगी जो उस वर्ष, जिसमें पट्टा दिया जाए, के नवम्बर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उससे अगले वर्ष 31 अक्टूबर को समाप्त होगी;

परन्तु जहां नये क्षेत्र उक्त कालावधि के दौरान किसी समय किराये पर दिये जायें या किसी क्षेत्र के विद्यमान पट्टे का पर्यवसान पूर्वोक्त कालावधि के अवसान से पूर्व ही कर दिया जाये, वहाँ नये पट्टे की कालावधि, उक्त कालावधि का अवशिष्ट भाग होगी जिसका सम्यक् उल्लेख नीलाम नोटिस में निदेशक द्वारा किया जायेगा।

(2) पापड़ खार के लिये पट्टे की कालावधि तीन वर्ष होगी जो उस वर्ष, जिसमें वह दिया जाये, के सितम्बर के प्रथम दिन से प्रारम्भ होकर उससे अगले तीन वर्ष के बाद 31 अगस्त को समाप्त होगी;

परन्तु जहां नये क्षेत्र उक्त कालावधि के दौरान किसी समय किराये पर दिये जायें या जहां किसी क्षेत्र के विद्यमान पट्टे का पर्यवसान पूर्वोक्त कालावधि के अवसान से पूर्व ही कर दिया जाये, वहां नये पट्टे की कालावधि, उक्त कालावधि का अवशिष्ट भाग होगी जिसका सम्यक् उल्लेख नीलाम नोटिस में निदेशक द्वारा किया जावेगा।

[2][(3) पापड़ खार के मामले में या जहां सरकार का यह समाधान हो जाये कि कच्चे माल के रूप में इन लवणों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से पट्टेदार द्वारा मशीनरी और उपस्कर पर पर्याप्त सुधार या काफी विनिधान किया गया है, वहाँ सरकार पट्टे का और तीन वर्षों के लिए नवीनीकरण उस रकम के, जिस पर पट्टा मंजूर किया गया था, दुगने से अन्यून वार्षिक पट्टा धनाभाटक का संदाय किये जानेपर कर सकेगी, यदि नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन पट्टे के अवसान का छः माह पूर्व प्राप्त हो जाये और जब उद्योग स्थापित कर दिया जाये तब सरकार ऐसे निबंधन और शर्तें अंतिम रूप से विनिश्चित कर सकेगी जिन पर पट्टा और बढ़ाया जाना है।]

नियम 7. पट्टा देने का ढंग—पट्टा नीलाम द्वारा दिया जायेगा जैसा कि इन नियमों में उपबन्धित है।

नियम 8. पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार की जाएगी—निदेशक, सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो उच्चतम बोली को स्वीकार कर सकेगा परन्तु यदि पीठासीन अधिकारी की यह राय हो कि उच्चतम बोली स्वीकार न की जाए तो वह निदेशक को आवश्यक सिफारिश करेगा जो स्वविवेकानुसार उच्चतम प्रस्तावित बोली को स्वीकार न करने के लिये कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् किसी अन्य बोली को स्वीकार कर सकता है।

नियम 9. नीलामी के लिये प्रक्रिया—इन नियमों के अधीन पट्टों को नीलाम करने में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा—

1. Inserted vide Noti. No. F. 6 (40) Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995 Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.
2. Substituted vide Noti. No. F 6 (40) Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

(1) नीलाम—

[1][(i)	प्रतिवर्ष 500 रू या उससे कम भू-राजस्व देने वाले अथवा देने हेतु अनुमानित क्षेत्रों के लिए;	तहसीलदारों, ग्राम पंचायत/नगरपालिका बोर्डों की मार्फत डोंडी पिटवाकर और तहसीलदार, ग्राम पंचायत, नगरपालिका बोर्ड के कार्यालय पर और वर्गीकृत क्षेत्र के सहजदृश्य स्थान पर नोटिस लगा कर;]
(ii)	प्रतिवर्ष 500 रू से अधिक किन्तु 1000 रु. से कम भू-राजस्व देने वाले अथवा इतना अनुमानित भू-राजस्व देने वाले क्षेत्रों के लिए	राजपत्र और उस क्षेत्र के किसी प्रमुख समाचार पत्र, यदि कोई हो, में अधिसूचना के माध्यम से;
(iii)	प्रतिवर्ष 1000 रु. से अधिक भू-राजस्व देने वाले अथवा इतना अनुमानित भू-राजस्व देने वाले क्षेत्रों के लिए	राजपत्र और पर्याप्त बिक्री वाले प्रमुख समाचार पत्रों में से कम से कम एक में अधिसूचना के माध्यम से;

अधिसूचित किया जायेगा।

(2) खण्ड (1) के अनुसार नीलाम का नोटिस जिसमें नीलाम के निबन्धन एवं शर्त अन्तर्विष्ट हों, नीलाम करने की तारीख से कम से कम 21 दिन पूर्व अनुसूची II के प्ररूप I में, प्रकाशित किया जायेगा, विनिर्दिष्ट मामलों में नीलाम ऐसे कम समय में नोटिस पर भी किया जा सकेगा। जैसा कि सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(3) बोली लगाने वालों की अधिक से अधिक संख्या के लिए सुविधा और क्षेत्रों की निकटता को ध्यान में रखते हुए निदेशक नीलाम के लिए स्थल का चयन करेगा।

(4) पट्टे की संविदा एक समिति द्वारा नीलाम की जायेगी, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है—

(i) जहां अंतिम नीलाम की उच्चतम बोली 500 रु. प्रति वर्ष या कम थी या अब इतनी अनुमानित की जाती हो—

(क) संबद्ध जिला उद्योग अधिकारी अथवा उद्योग विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो संबद्ध सहायक निदेशक, उद्योग विभाग द्वारा नाम निर्देशित किया गया हो;

(ख) संबद्ध क्षेत्र का तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार;

(ग) प्रदेश का लवण निरीक्षक या रसायन अथवा निदेशक उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य अधिकारी

(ii) जहां पिछली उच्चतम बोली 500 रु. प्रति वर्ष से अधिक किन्तु 10,000 रु. से कम थी या अब इतनी अनुमानित की जाती हो—

(क) जिला उद्योग अधिकारी अथवा, जहां जिला उद्योग नहीं है, संबद्ध सहायक निदेशक, उद्योग विभाग;

(ख) क्षेत्र का उप-खण्ड अधिकारी;

(ग) उद्योग विभाग का लेखाकार;

(घ) प्रदेश का लवण निरीक्षक या रसानयज्ञ अथवा निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य अधिकारी।

1. Substituted vide Noti. No. F 6 (40) Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

(iii) जहां पिछली उच्चतम बोली या अनुमानित रायल्टी [1][प्रतिवर्ष 10,000 रु. या अधिक] थी अथवा अब इतनी अनुमानित की जाती है—

(क) प्रयोगशाला अधिकारी:

(ख) संबद्ध सहायक निदेशक उद्योग:

(ग) संबद्ध जिला उद्योग अधिकारी:

(घ) लेखाधिकारी, उद्योग विभाग:

(ङ) क्षेत्र का उप-खण्ड अधिकारी : और

(च) प्रदेश का लवण निरीक्षक या रसायनज्ञ अथवा निदेशक : उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिनियुक्त कोई अन्य अधिकारी।

[1][स्पष्टीकरण—ऊपर उपखण्ड (i) (ii) और (iii) में निर्दिष्ट समितियों में जिला उद्योग अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा और जहां कोई जिला उद्योग अधिकारी नहीं है वहां संबद्ध सहायक निदेशक, उद्योग विभाग, समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।]

(5) पट्टे के निबन्धन, शर्तें और वर्णन, जो कि अनुसूची II के प्ररूप I में विनिर्दिष्ट है, नीलाम प्रारम्भ होने से पूर्व बोली लगाने के इच्छुक व्यक्तियों को पढ़कर बताए जायेंगे और इसकी पुष्टि में उनके हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान, यथास्थिति, करवा लिये जायेंगे।

(6) बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति नकद में अथवा मांग देय ड्राफ्ट के जरिये निदेशक के पक्ष में ऐसा अग्रिम धन जमा करायेंगे जो कि निदेशक द्वारा नियत किया जाए और जिस रकम का उल्लेख नीलाम के पूर्वोक्त नोटिस में किया जायेगा। तथापि पीठासीन अधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणें से बोली में भाग लेने से वंचित कर सकेगा—

(i) यदि उसका समाधान हो जाये कि निक्षिप्त अग्रिम धन नीलाम की तारीख तक सरकार द्वारा नकद में अथवा अन्यथा प्राप्त नहीं कर लिया गया है:

(ii) यदि बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति व्यक्तिक्रमी है या सरकार द्वारा उसका नाम बहिष्कृत व्यक्तियों की सूची में लिख लिया गया है, और

(iii) यदि पार्टी दिवालिया हो गयी है:

(7) बोली लगाने वाले का नाम, कार्यवाहियों में उसकी बोली सहित नोट किया जायेगा। नीलाम की कार्यवाहियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् उच्चतम बोली अंकों और शब्दों में इस टिप्पणियों के साथ लिखी जायेगी कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार दी गई अंतिम बोली से उच्चतर बोली देने के लिए तैयार नहीं है और पीठासीन अधिकारी, नीलाम समिति के सदस्यों एवं समस्त बोली लगाने वालों के हस्ताक्षर, नीलाम की कार्यवाहियों पर लिये जायेंगे।

(8) (i) सज्जी की दशा में एक वर्ष की कालावधि के लिये और पापड़ खार की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिये पट्टा नीलाम किया जायेगा।

(ii) सबसे ऊंची बोली की रकम, वार्षिक प्रीमियम की वह रकम होगी जो पट्टे के इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के लिये देय है;

(iii) पट्टों के इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, धनपात होने पर, निम्नलिखित रकम जमा करायेगा—

1. Substituted vide Noti. No. F. 6(40)Rev./VI/79/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

(क) जबकि सबसे ऊंची बोली 1000 रु. प्रति वर्ष या उससे कम हो, सबसे ऊंची बोली की पूर्ण रकम; और

(ख) जबकि ऊंची बोली 1000 रु. प्रति वर्ष से अधिक हो, सबसे ऊंची बोली की तीन चौथाई रकम और अवशिष्ट रकम पट्टे की मन्जूरी जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा कराई जायेगी। तथापि निदेशक इस कालावधि को पन्द्रह दिन की कालावधि तक बढ़ा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाये कि कालावधि बढ़ाना न्योयाचित है:

परन्तु जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, सबसे ऊंची बोली की धनपात होने पर, यथापूर्वोक्त जमा कराने में असफल रहता है तो उसका अग्रिम धन जब्त किया जा सकेगा और पट्टा उससे ठीक नीचे की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रदान किया जा सकेगा या पुनः नीलाम किया जा सकेगा जैसा कि उप-नियम (4) के अधीन गठित समिति द्वारा विनिश्चित किया जाये:

परन्तु यह और कि जहां सबसे ऊंची बोली लगाने वाला, तीन चौथाई रकम जमा कराने के बाद, सबसे ऊंची बोली की बाकी रकम, विहित अथवा बढ़ी हुई कालावधि में जमा कराने में असफल रहता है तो उसका अग्रिम धन तथा बोली की आनुपातिक रकम जो नीलाम के समय जमा की गई हो, जब्त की जा सकेगी और उससे ठीक नीचे की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को पट्टा दिया जा सकेगा यदि वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो अन्यथा पट्टा पुनः नीलाम किया जा सकेगा।

(iv) पापड़ खार के पट्टें के मामले में, वार्षिक प्रीमियम द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के लिये क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष में 16 अगस्त तक देय होगा।

परन्तु यदि पट्टे के द्वितीय और तृतीय वर्ष के बारे में, वार्षिक प्रीमियम की रकम, उसके संदाय के लिये नियम तारीखों तक अदा न की जाये तो सरकार पट्टेदार पर नोटिस एक इस आशय का कि यह उस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की कालावधि के भीतरदेय रकमों का भुगतान कर दे, तामील करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकेगी। सरकार को इस नोटिस द्वारा समाप्त हो जाने के पश्चात् किसी भी समय पट्टान्तर्गत भूमि पर प्रवेश करने तथा समस्त उपज या उसमें से किसी का भी विनिग्रहण करने अथवा इस प्रकार विनिग्रहित सम्पत्ति का विक्रय किये जाने का आदेश देने का अधिकार होगा जो कि देय रकम तथा उसके अदा न होने के कारण हुई अन्य समस्त लागत व खर्च, जैसा कि निदेशक द्वारा विनिश्चिय किया जाये, को चुकाने के लिये पर्याप्त हो। ये अधिकार सरकार के उन अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो उसे इन नियमों के अन्तर्गत अपनी देय रकमों को वसूल करने के लिये राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार है।

(v) जहां सरकार, बोली अथवा वार्षिक प्रीमियम की किसी देय रकम का संदाय न करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध उप-नियम (iii) तथा (iv) में दिये गये उपायों में से कोई उपाय काम में लेने को अग्रसर नहीं होती है और पट्टा मंजूर कर दिया जाता है या यदि पहले ही मंजूर किया जा चुका हो और उस पट्टे को उस व्यक्ति के पक्ष में ही रहने दिया जाता है तो उस दशा में वह व्यक्ति देय धन का भुगतान 12 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित करने का दायी होगा।

नियम 10, अग्रिम धन का वापस करना—उस व्यक्ति/पार्टी, जिसकी बोली स्वीकृत कर ली जाए, द्वारा निश्चित किया गया, अग्रिम धन प्रतिभूति रकम के रूप में माना जावेगा और पट्टे के सफलता पूर्वक समाप्त होने पर वापस कर दिया जायेगा।

नियम 11. पट्टों की मंजूरी का जारी किया जाना—पट्टा मंजूरी की शक्ति, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है, निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त की जायेगी—

(क) 5000 रुपये प्रति वर्ष तक ..... सहायक निदेशक, उद्योग

(ख) 5000 रुपये से अधिक ..... [1][निदेशक] वे समस्त मामले, जिनमें पट्टों का धन 10,000 रुपये से अधिक अनुमोदन के लिए सरकार को भेजे जायेंगे।

नियम 12. [1][सफल बोली लगाने वाले का आख्यापन]—पीठासीन अधिकारी सफल बोली लगाने वाले का नाम वही स्थल पर आख्यापित करेगा। [1][निर्देशक] नीलाम समाप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, पुष्टि के रूप में आवश्यक मंजूरी जारी करेगा जिसकी प्राप्ति पर सफल बोली लगाने वाला व्यक्ति पट्टेदार के रूप में काम करने का हकदार हो जायेगा।

नियम 13. करारों का निष्पादन—सब पट्टेदार उस तारीख अथवा निबन्धनों एवं शर्तों को, जिन पर पट्टा मंजूर किया गया था, विचार में लाए बिना, निदेशक से पुष्टि के रूप में मंजूरी या पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह की अवधि के भीतर अनुसूची II के प्ररूप I में एक करारनामा निष्पादित करेंगे तथा उसे अपने स्वयं के खर्चे पर तुरन्त पंजीकृत करायेंगे। यदि पट्टेदार इस अवधि के भीतर या इससे आगे ऐसे समय के भीतर जो कि निदेशक द्वारा मंजूर किया जाय, उक्त करारनामें का निष्पादन करने में असफल रहेगा अथवा उसको सम्यक् रूप से पंजीकृत कराने में असफल रहेगा तो निदेशक को पट्टे का पर्यवसान करने तथा रकम समपहत करने, नियम 22 (2) में यथा उपबंधित शास्ति अधिरोपित करने अथवा बेदखली के लिये ऐसी आवश्यक कार्यवाही जिसे वह उचित समझे, करने की पूर्ण शक्तियाँ होंगी।

नियम 14. पट्टे अन्य प्रणालियों से भी दिये जा सकेंगे—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी सरकार, उद्योग के सर्वोत्तम हित में, क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिए कोई अन्य प्रणाली राज-पत्र में अधिसूचना के पश्चात् अंगीकृत कर सकेगी।

नियम 15. पट्टों की साधारण शर्तें—प्रत्येक पट्टे में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित की जाएंगी और यदि वे सम्मिलित न की गई हों तो वे उक्त पट्टे में सम्मिलित की हुई समझी जायेंगी—

(क) पट्टेदार समस्त देय रकमों को ऐसे अधिकारियों के कार्यालय में, ऐसी रीति से तथा ऐसे समय पर, जैसा कि पट्टे के करार में उल्लिखित किया जाए, संदत्त करेगा।

(ख) पट्टेदार, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र में, किसी भी वृक्ष को तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि, यदि कोई हो, के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना नहीं काटेगा या क्षति नहीं पहुँचायेगा।

(ग) पट्टेदार किसी लोक स्थान, श्मशान अथवा कब्रिस्तान या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग द्वारा पुनीत माने गये स्थान में या किसी मकान अथवा ग्राम स्थल लोक सड़क या अन्य स्थान जिन्हें सरकार लोक हित में ऐसा अवधारित करे, में या पर, अथवा ऐसी रीति से जिससे किसी भवन, संकर्म, सम्पत्ति या अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को क्षति पहुँचे अथवा उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, किसी भवन या किसी अन्य संरचना का परिनिर्माण, स्थापन या संस्थापन नहीं करेगा और भूतन-सक्रियाएं नहीं करेगा:

---

1. Substituted vide Noti. No. F. 6(40)Rev./IV/79/VI/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

(घ) पट्टेदार को, पट्टा मिल जाने के कारण से, अपने पट्टान्तर्गत उन क्षेत्रों में काम करने का कोई अधिकार नहीं होगा जो सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही आरक्षित या निर्बन्धित अथवा राष्ट्रीय महत्व या पुरातत्वीय महत्व के घोषित किये जा चुके हैं या तत्पश्चात् घोषित किये जायें;

(ङ) पट्टेदार भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित किये गये समस्त विद्यमान अधिनियमों एवं नियमों का और समस्त ऐसे अन्य अधिनियमों या नियमों का जो समय-समय पर प्रवर्तित किये जायें तथा पट्टेदार के कर्मचारियों के अथवा सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को प्रभावित करने वाली बातों का पालन करेगा;

(च) पट्टेदार सही हिसाब रखेगा जिसमें उसके द्वारा विनिर्मित तथा बेची गयी सामग्री का परिणाम तथा विशिष्टयाँ और उसमें नियोजित व्यक्तियों की संख्या दिखायी जायेगी तथा उद्योग विभाग के किसी भी अधिकारी को सभी उचित समयों पर उक्त हिसाब की परीक्षा करने देगा तथा उसे पूर्वोक्त मामले के बारे में ऐसी सूचना तथा ऐसी विवरणियां देगा जिनकी वह अपेक्षा करे;

(छ) पट्टेदार, किसी ऐसी भूमि, जो पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है अथवा उससे संलग्न है या जिस पर पट्टेदार द्वारा धारित भूमि में होकर पहुंच है, के विद्यमान और/अथवा भावी अनुज्ञप्ति के धारी या पट्टा धारकों को उसमें पहुंचने के लिये समस्त युक्तियुक्त सुविधाएं देगा;

(ज) उपर्युक्त [1][शर्त] (ग) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, पट्टेदार उसे अनुदत्त किये गये क्षेत्र पर, भूमि के भाटक के संदाय करके, सदभावित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित किसी अस्थायी भवन का परिनिर्माण कर सकेगा और ऐसा भवन, यदि कोई हो, उसकी सामग्री इत्यादि सहित पट्टे की कालावधि के अवसान पर, एक महीने के भीतर उसके द्वारा स्वयं के खर्चों पर हटा दिया जायेगा, यदि पट्टेदार उक्त कालावधि के भीतर सामग्री, कच्चे परिनिर्माण इत्यादि को हटाने में असफल रहे तो वह सरकार द्वारा पट्टेदार के खर्चे पर उद्ध्वस्त कर दिया जायेगा अथवा हटा दिया जायेगा और उसकी लागत के लिये या प्रतिफल के लिये कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जायेगा।

(झ) पट्टेदार उक्त विषय पर तत्समय प्रवृत्त अथवा नियम या आदेश के अनुसार समस्त नुकसानों, क्षति अथवा विघ्न जो उसके द्वारा किये जाए, के लिए ऐसा युक्तियुक्त प्रतिकार करेगा और संदाय करेगा जैसाकि निदेशक द्वारा निर्धारित किया जाए और वह सरकार को ऐसे समस्त दावों के विरुद्ध सर्वथा एवं पूर्णतया क्षतिपूर्ति युक्त रखेगा जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उक्त नुकसानों, क्षति या विघ्न और उससे संबंधित समस्त लागतों एवं व्ययों के बारे में किये जाये;

(ञ) पट्टेदार, ऐसी किसी दुर्घटना के सम्बन्ध में जो उक्त परिसर पर या में हो जाए तथा पट्टे द्वारा पट्टान्तरित भूमियों में से किसी भी भूमि के पट्टे में अविनिर्दिष्ट किसी खनिज का पता लगाने के सम्बन्ध में भी, निदेशक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अविलम्ब रिपोर्ट करेगा;

(ट) यदि भूतल भाटक, जो आरक्षित किया गया है या पट्टेदार द्वारा देय ठहराया गया है, पट्टे में उसके संदाय के लिये नियत तारीख के पश्चात् अगले 15 दिनों के भीतर संदत्त न

1. Substituted vide Noti. No. F. 6(40)Rev./IV/79/VI/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

किया जाए तो पट्टेदार को नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर देय रकमों का संदाय करने का लिखित नोटिस तामील किया जाएगा और तत्पश्चात् सरकार को पट्टे का पर्यवसान करने का अधिकार होगा। सरकार पूर्वोक्त नोटिस की तामील हो जाने के पश्चात्, उक्त परिसर पर किसी भी समय प्रवेश भी कर सकेगी, विनिर्मित वस्तुओं में से सभी या किसी को अथवा उसमें विद्यमान चल सम्पत्ति को विनिर्गहण कर सकेगी और वहां से ले जा सकेगी, निरुद्ध कर सकेगी अथवा इस प्रकार निरुद्ध सम्पत्ति या उसके उतने भाग के विक्रय का आदेश दे सकेगी जो भाटक या रायल्टी की देय रकमों और ऐसी समस्त लागत और व्ययों के समाधान के लिए पर्याप्त हो जो उनका संदाय न करने के कारण हुए हों;

(ठ) पट्टे में अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का पट्टेदार की ओर से कोई भंग होने की स्थिति में सरकार पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और उक्त परिसर पर कब्जा कर सकेगी अथवा अनुकल्पतः पट्टेदार पर शास्ति का संदाय अधिरोपित कर सकेगी जो कि संविदा की रकम के समतुल्य रकम से अधिक नहीं हो। यदि पट्टेदार इस सम्बन्ध में लिखित नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के पश्चात् उक्त भंग का उपचार करने में असफल नहीं रहा है तो ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ड) ज्योंही पट्टे का पर्यवसान कर दिया जाए, पट्टेदार इस सम्बन्ध में निदेशक के सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त परिसर परिदत्त कर देगा; और

(ढ) सभी रकमें जो पट्टे की रकम के रूप में अथवा अन्यथा सरकार को एतद्धीन देय हों, राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 5) अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 15) के उपबन्धों के अनुसार भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल की जा सकेगी और यह अधिकार इसमें अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त और उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना होगा तथा उसका उपयोग पट्टेदार और प्रतिभू दोनों, के दायित्वों के बारे में किया जायेगा।

इन नियमों के प्रारम्भ होने से पूर्व अनुदत्त किये गये पट्टे का धारक, पट्टे की लिखित या करार अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एतत्पश्चात इन नियमों से शासित होगा।

नियम 16. विवादों का विनिश्चिय—कोई विवाद हो जाने की दशा में [1][सरकार के राजस्व विभाग] का विनिश्चित अन्तिम होगा।

नियम 17. [1][विलोपित]

नियम 18. विनिर्माण करने का अधिकार—उक्त क्षेत्र में सज्जी और पापड़ खार का विनिर्माण करने का अधिकार उस व्यक्ति में निहित होगा जिसके नाम में पट्टा या संविदा इन नियमों के अनुसार मंजूर हुआ है।

नियम 19. [1][शक्तियों का प्रत्यायोजन]—(1) कोई भी अधिकारी जो इन नियमों के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए एतद्धीन सक्षम है, उसके ठीक नीचे वाले किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार इन नियमों के द्वारा अथवा अधीन उसको अथवा किसी अधिकारी को प्रदत्त समस्त शक्तियों अथवा उनमें से किसी शक्ति का प्रत्यायोजन राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को कर सकेगी।

1. Substituted & Deleted vide Noti. No. F. 6(40)Rev./IV/79/VI/26 dated 14-12-1995. Pub. in Raj. Govt. Gaz. Exty. Part 4 (ga) (I) dated 20-12-1995.

नियम 20. भूलों की परिशुद्धि—इन नियमों के अधीन सरकार अथवा कोई भी अधिकारी, यथास्थिति, उसके द्वारा इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर किसी भी समय उस आदेश में ऐसी किसी भूल या गलती को जो अभिलेख को देखते ही प्रत्यक्ष होती हो, स्वयं परिशुद्ध कर सकेगी या सकेगा तथा किसी उक्त भूल या गलती को जो कि किसी व्यक्ति द्वारा उनके ध्यान में लाई गई है, लिखित आवेदन पर जो उक्त अवधि के भीतर किया गया हो, परिशुद्ध करेगी या करेगा।

नियम 21. नियमों का शिथिलीकरण—सरकार इन नियमों में से किसी भी नियम को शिथिल कर सकेगी यदि ऐसा शिथिलीकरण राज्य के औद्योगिक विकास के हित में हो।

नियम 22. अप्राधिकृत कार्यकरण—(1) कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में पापड़ खार अथवा सज्जी का विनिर्माण इन नियमों के अधीन अनुदत्त पट्टे के निबन्धनों और शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार के सिवाए नहीं करेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-नियम (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, सम्बन्धित जिले के कलेक्टर के लिखित आदेश पर, किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सके, ऐसी शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा जो इस प्रकार विनिर्मित किये गये पापड़ खार अथवा सज्जी के प्रति टन या उसके भाग के लिये 50 रुपये की दर से संगणित राशि से अधिक नहीं होगी;

परन्तु यदि इस प्रकार संगणित राशि 1000 रुपये से कम हो तो शास्ति इतनी अधिक राशि हो सकेगी जितनी कि कलेक्टर द्वारा अधिरोपित की जाय, जो कि 1000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(3) यदि उप-नियम (1) का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को शासित अधिरोपित करने का आदेश संसूचित करने के पश्चात् उल्लंघन चालू रहता है तो उक्त व्यक्ति ऐसा जुर्माना संदाय करने के लिए दायी होगा जो प्रत्येक दिन जिसके दौरान उल्लंघन होता रहता है, के लिए 100 रुपये से अधिक नहीं होगा।

(4) इस नियम के अधीन कोई शास्ति अथवा जुर्माना अधिरोपित करने का कोई आदेश उस व्यक्ति को, जिसके विषय में उप-नियम (1) के उल्लंघन का अभिकथन किया गया हो, सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जावेगा।

उपाबंध

अनुसूची-1

[देखिये नियम 4 (1)]

सज्जी और पापड़ खार के वर्गीकृत क्षेत्र

क्र. सं.	क्षेत्र/गांव का नाम	तहसील	जिले का नाम
		पापड़ खार के क्षेत्र-जयपुर रिजन	
1.	कंवर पुरा और खुम्हा पुरा	आमेर	जयपुर
2.	रजड़ा साहु	--	--
3.	निवाना, धोवलिया, बालखन, खदरूपुरा	--	--
4.	काचरोदा	फुलेरा	--
5.	फुलेरा	--	--
6.	अभयपुरिया	--	--
7.	कोल्ला	श्री माधोपुर	सीकर
8.	जलालपुरा	--	--
9.	सीलपुर, रींगस, कांवट	--	--
10.	जुगलपुरा, विट्टलपुरा	--	--
11.	घासीपुरा	--	--

12.	रामसर	अजमेर	अजमेर
		पापड़ खार के क्षेत्र-जोधपुर रीजन	
13.	[1][××××]	--	--
14.	कंवरों की ढाणी और माण्डल जोधा	--	नागौर
[2]14ए.	मीठड़ी नावा	--	नागौर
		सज्जी के क्षेत्र-जयपुर रीजन	
15.	अनूपगढ़	अनूपगढ़	बीकानेर
		सज्जी के क्षेत्र-जोधपुर रीजन	
16.	पूगल	पूगल	बीकानेर
17.	[1][××××]		
18.	[1][××××]		
19.	मलहेरिया	फलौदी	जोधपुर
[3]20.	सुरतगढ़	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर]

केवल वही सरकारी भूमि ठेके पर दी जाएगी जो उपयोग के लिए अथवा अन्यथा सरकार द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से आवंटित नहीं की गई है।

प्रपत्र 1

ठेके की सूचना

1. ठेका .....साल के लिये दिया जावेगा जो .....को समाप्त होगा।

2. सज्जी का ठेका 1 साल के लिये व पापड़ खार का ठेका 3 साल के लिये नीलाम होगा। सबसे अधिक बोली वाला ठेका दिया जावेगा। सबसे अधिक बोली की रकम ठेके का वार्षिक किराया होगा। पापड़, खार के ठेके में यह रकम तारीख 16 अगस्त तक दूसरे साल में व इसी तारीख को तीसरे साल में दूसरे व तीसरे साल के किराया के रूप में जमा करानी होगी। अगर ठेके की आखिरी बोली की रकम रुपये 1000/- या उससे कम की हो तो सम्पूर्ण रकम नीलाम खत्म होते ही जमा करानी होगी। यदि वह रकम 1000/- रुपये से अधिक हो तो इसका तीन चौथाई भाग नीलाम खत्म होते ही जमा कराना होगा। शेष 1/4 भाग नीलाम की स्वीकृति प्रेषित होने की तिथि से एक माह में व अन्य वर्ष के ठेके की रकम उस वर्ष के ठेके की तारीख शुरु होने के पन्द्रह दिन पहले सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय में अथवा उसके द्वारा बताये गये कोष में जमा करानी होगी व ऐसा करने का इकरारनामा व दो जमानतदारों का जमानतनामा तहसील द्वारा तस्दीक करवाकर नीलाम की तारीख से 7 दिन में अथवा दूसरे व तीसरे साल के ठेके की अवधि शुरु होने से 7 दिन के पहले देना पड़ेगा जो ऐसा नहीं करेंगे उनकी जमानत की रकम या 3/4 जमा की हुई रकम जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका फिर से नीलाम कर दिया जावेगा अथवा दूसरे उच्चतम बोली वाले को दे दिया जावेगा। यदि दूसरी व तीसरे साल की रकम की अदायगी इस अवधि में नहीं हो तो सरकार को अधिकार होगा कि एक महीने में यह रकम जमा कराने का नोटिस देकर नोटिस की अवधि बीतने पर यदि रकम जमा नहीं हुई हो तो

1. Deleted vide Noti. No. F. 15(I)Ind./72 dated 22-2-1975, Pub. in Raj. Govt. Gaz. Part 4 (ga) (I) dated 10-4-1975.
2. Added vide Noti. No. F. 9 (21) Rev./6/05/24 dated 20-10-2005, Pub. in Raj. Govt. Gaz. Part IV (C) 17-11-2005 Wef 17-11-2005.
3. Added vide Noti. No. F. 6 (10) Rev./Gr. 4/81/16 dated 12-3-1982, Pub. in Raj. Govt. Gaz. Part 4 (ga) (I) dated 24-6-1982.

ठेके समाप्त कर देवें और ठेके की भूमि पर जाकर ठेकेदार की उपज तथा अन्य सम्पत्ति को बेच कर सरकारी बकाया वसूली करें। यह अधिकार सरकार को जो राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में सरकारी बकाया वसूली के अधिकार प्राप्त है, उनको किसी प्रकार हानि नहीं पहुँचाते हुए उपलब्ध होगा। यदि सरकार उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग नहीं करती है तो उसकी बोली की रकम अथवा उसके हिस्से की रकम जमा नहीं कराने पर अथवा दूसरे या तीसरे साल की रकम जमा नहीं कराने पर उपलब्ध है और ठेका स्वीकृत कर दिया जाता है अथवा ठेका कायम रखा जाता है तब ऐसी अवस्था में सरकारी रकम मय 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के अदा होगी।

3. ठेके पाने वाले की अमानत रकम बतौर जमानत के ठेके की समाप्ति तक रखी जायेगी।

4. सरकार द्वारा प्रसारित राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (पापड़, खार व सज्जी के उत्पादन क्षेत्रों के ठेंके के) नियम, 1965 सब ठेकेदारों को मान्य होंगे।

5. ठेकेदार को निकाले गये तथा शुद्ध किये गये पापड़ खार, सज्जी आदि का मासिक ब्यौरा (हिसाब) जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय में माह समाप्त होने के एक सप्ताह में देना पड़ेगा।

6. ठेकेदार को निर्धारित एग्रीमेन्ट स्वीकृति प्राप्त होते ही एक महीने के अन्दर भरना पड़ेगा तथा उसका रजिस्ट्रेशन ठेकेदार को अपने खर्चे से करवाना पड़ेगा।

7. पापड़, खार, सज्जी आदि ठेके के क्षेत्रों में जहां उत्पन्न होता है वे ही क्षेत्र ठेके में दिये जावेंगे, परन्तु निम्न क्षेत्र वर्जित होंगे—

(क) वह क्षेत्र जहां शिकारगाह है अथवा वन विभाग द्वारा वर्जित घोषित किये गये है।

(ख) वह क्षेत्र जो पुरातत्व विभाग या केन्द्र सरकार द्वारा वर्जित घोषित किये जा चुके है या भविष्य में घोषित किये जावें।

(ग) वह क्षेत्र जो राष्ट्रीय महत्व के होने के कारण वर्जित किये गये हैं या भविष्य में किये जावें।

(घ) वह क्षेत्र जो जनता के मनोरंजन के लिये है जैसे पार्क, खेल के मैदान सड़क के पास के क्षेत्र इत्यादि।

(ड) वह क्षेत्र जो आबादी वाले क्षेत्र है।

8. ठेकेदार को पापड़ खार, सज्जी आदि बनाने की विधि एवं क्रिया के सम्बन्ध में विभाग के प्रत्येक निर्देशन का पालन करना होगा।

9. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार को कार्य बंद करके क्षेत्र खाली करना होगा और तुरन्त सामान हटाना होगा। ऐसा न करने पर कुल सामान पर सरकार का अधिकार हो जावेगा व ठेकेदार की जमानत जब्त की जायेगी।

10. उपरोक्त शर्तों व किसी भी शर्त की पाबन्दी न करने पर निदेशक, उद्योग व रसद विभाग को अधिकार होगा कि (i) वह राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (पापड़ खार व सज्जी प्रोडयूसिंग एरियाज लीज) रुल्स, 1968 के नियम 23 (2) के अन्तर्गत ठेकेदार पर जुर्माना करे, या (ii) वह एक माह का नोटिस देकर ठेके को समाप्त करें और इस सूरत में कोई मुआवजा व खर्चा ठेकेदार को नहीं दिया जावेगा।

11. एसोसियेशन या सहकारी समिति को बोली देने से पहले अपना रजिस्ट्रकरण पत्र पेश करना होगा।

12. एक्साइज विभाग द्वारा लगाई गई पापड़ खार, सज्जी आदि रखने व बेचने की शरायते मान्य होंगी।

13. किसी धारा व एग्रीमेन्ट या ठेके के किसी विषय पर वाद-विवाद के सम्बन्ध में अथवा उसकी व्याख्या पर निदेशक उद्योग व रसद विभाग राजस्थान, जयपुर का निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

14. यदि केन्द्र द्वारा पापड़ खार, सज्जी आदि मेजर मिनरल घोषित कर दिया जावे तो ठेकेदार को ठेके पर दिया हुआ क्षेत्र एक महीने के नोटिस पर बिना किसी उज्र या मुआवजा के खाली करना होगा।

15. पापड़ खार व सज्जी आदि बनाने के लिये मिट्टी खुरचते समय यदि कोई वस्तु प्राचीन भारतीय संस्कृति अथवा धातु से सम्बन्धित पाई जावे तो ठेकेदार को उस स्थान पर काम बन्द करके उसकी सूचना सरकार को तुरन्त देनी होगी।

16. ठेके को पहले तहसीलदार फिर यूनिटवार अर्थात् दोनों तरह से नीलाम किया जावेगा। यह सरकार की मर्जी पर निर्भर है कि वह तहसीलदार अथवा यूनिटवार बोली वालों के पक्ष में ठेके की स्वीकृति प्रदान करें।

नीलाम की शरायतें

नीलाम में बोली लगाने के इच्छुक व्यक्तियों इत्यादि की बोली लगाने के पहले प्रत्येक क्षेत्र के लिये रुपये 200/- अंक (दो सौ रुपये मात्र) बतौर अमानत रकम जमा कराना पड़ेगा। जो व्यक्ति या फर्म ऐसा नहीं करेगे तथा वे व्यक्ति जिन्हें नियम 9 व नियम 6 के अन्तर्गत बोली लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है उनको नीलाम में भाग नहीं लेने दिया जावेगा। नीलाम समाप्त होने पर उच्चतम बोली वाले के अतिरिक्त सब की अमानत रकम उसे उसी समय वापिस दे दी जावेगी।

2. सज्जी का ठेका 1 साल के लिये व पापड़ खार का ठेका 3 साल के लिये नीलाम होगा। सबसे अधिक बोली वाला ठेका दिया जावेगा। सबसे अधिक बोली की रकम ठेके का वार्षिक किराया होगा। पापड़ खार के ठेके में यह रकम तारीख 16 अगस्त तक दूसरे साल में व इसी तारीख को तीसरे साल में दूसरे व तीसरे साल के किराया के रूप में जमा करानी होगी। अगर ठेके की आखिरी बोली की रकम रुपये 1000/- या उससे कम की हो तो सम्पूर्ण रकम नीलाम खत्म होते ही जमा करानी होगी। यदि वह रकम 1000/- रुपये से अधिक हो तो इसका तीन चौथाई भाग नीलाम खत्म होते ही जमा कराना होगा। शेष 1/4 भाग नीलाम की स्वीकृति प्रेषित होने की तिथि से एक माह में व अन्य वर्ष के ठेके की रकम उस वर्ष के ठेके की तारीख शुरु होने के पन्द्रह दिन पहले सम्बन्धित जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय में अथवा उसके द्वारा बताये गये कोष में जमा करानी होगी व ऐसा करने का इकरारनामा व दो जमानतदारों का जमानतनामा तहसील द्वारा तस्दीक करवाकर नीलाम की तारीख से 7 दिन में अथवा दूसरे व तीसरे साल के ठेके की अवधि शुरु होने से 7 दिन के पहले देना पड़ेगा जो ऐसा नहीं करेंगे उनकी जमानत की रकम या 3/4 जमा की हुई रकम जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका फिर से नीलाम कर दिया जावेगा अथवा दूसरे उच्चतम बोली वाले को दे दिया जावेगा। यदि दूसरी व तीसरे साल की रकम की अदायगी इस अवधि में नहीं हो तो सरकार को अधिकार होगा कि एक महीने में यह रकम जमा कराने का नोटिस देकर नोटिस की अवधि बीतने पर यदि रकम जमा नहीं हुई हो तो ठेके समाप्त कर देवें और ठेके की भूमि पर जाकर ठेकेदार की उपज तथा अन्य सम्पत्ति को बेच कर सरकारी बकाया वसूली करें। यह अधिकार सरकार को जो राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 में सरकारी बकाया वसूली के अधिकार प्राप्त है, उनको किसी प्रकार हानि पहुँचाते हुए उपलब्ध होगा। यदि सरकार उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग नहीं करती है तो उसकी बोली की रकम अथवा उसके हिस्से की रकम जमा नहीं कराने पर अथवा दूसरे या तीसरे साल की रकम जमा नहीं कराने पर उपलब्ध है और ठेका स्वीकृत कर दिया जाता है अथवा ठेका कायम रखा जाता है तब ऐसी अवस्था में सरकारी रकम मय 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के अदा होगी।

3. सरकार या उसके नुमाइन्दों को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना किसी कारण को बताये किसी की भी बोली को रद्द कर सकेंगे।

4. एसोसियेशन या सहकारी समिति को विभाग द्वारा चाहे जाने पर पंजीकरण पत्र पेश करना होगा। ऐसा न करने पर उनको नीलाम में भाग लेने से रोका जा सकेगा।

5. नीलाम राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (पापड़ खार एण्ड सज्जी प्रोडयूसिंग एरियाज लीज) रुल्स, 1968 के प्रावधानों के अधीन होगा।

अनुसूची II

प्रारूप II

(देखिये नियम 13)

यह अनुबन्ध पत्र आज तारीख .....मास .....सन् .....19 को राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ''सरकार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा ग्राह्य हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष तथा (1)..... (1) ..... (1)..... जब ठेकेदार एक व्यक्ति हों।

(व्यक्ति का नाम)

(पता तथा उपजीविका)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा ग्राह्य हो, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित होंगे), (1), (2) (2)..... (2) जब ठेकेदार एक से अधिक व्यक्ति हो।

(व्यक्ति का नाम)

(पता तथा उपजीविका) और

(व्यक्ति का नाम) का

(पता तथा उपजीविका) और

(व्यक्ति का नाम)

(पता तथा उपजीविका) और

जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ठेकेदार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा ग्राह्य हो, उनके अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित होंगे, (3) (3) जब ठेकेदार एक फर्म है. .....

(व्यक्ति का नाम)

(पता) और

(व्यक्ति का नाम)

(पता) और

(व्यक्ति का नाम)

(पता) और

जो सभी व्यक्ति (फर्म का नाम) पर (फर्म का नाम)..... के नाम एवं अभिनाम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा ग्राह्य हो, उक्त फर्म के सभी भागीदार, उनके प्रतिनिधि, वारिस, निष्पादक, प्रशासक और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) भागीदारी में कारोबार कर रहे है।

जब ठेकेदार (3)

पंजीकृत कम्पनी है।

(4) ..... (कम्पनी का नाम) कम्पनी जो कि अधिनियम (जिसके कि अधीन निगमित हुई) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिस का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (स्थान)..... (पता)

..... में है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''ठेकेदार'' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है (जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ द्वारा ऐसा ग्राह्य हो उसके उत्तराधिकारी, अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) दूसरे पक्ष के बीच हुआ है।

अत: ठेकेदार/ठेकेदारों ने खण्ड (1)(ख) में वर्णित भूमि के बारे में पापड़ खार के संविदा के लिये सरकार को आवेदन किया है और एक वर्ष के लिये पट्टे के धन के रूप में ..... रुपये की राशि सरकार के पास निक्षिप्त की है।

अत: अब यह विलेख साक्षी है और इसके पक्षकार एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में करार करते हैं—

1 (क) पट्टान्तरण—इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट भाटकों और रायल्टियों प्रसंविदाओं और करारों, जो ठेकेदार/ठेकेदारों की ओर से संदत्त, अनुपालित और पूरे किये जाने हैं के प्रतिफल में सरकार ठेकेदार/ठेकेदारों की भूमियों में स्थित, पड़े पापड़ खार के उन समस्त क्षेत्रतल भागों जिनको इसमें इसके पश्चात् निर्दिष्ट किया गया है, को एतद्द्वारा पट्टान्तरित करती है और संविदा के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन है।

(ख) क्षेत्र—उक्त भूमि का क्षेत्रफल निम्नलिखित रूप में है—

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमियां अथवा पट्टान्तरित क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।)

(ग) ठेकेदार एतद्द्वारा अनुदत्त और पट्टान्तरित परिसर को तारीख .....मास ..... वर्ष के आगामी ..... वर्षों की अवधि के लिये धारण करेगा/करेंगे।

2. स्वतंत्रतायें, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार जिनका प्रयोग और उपभोग ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा—ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा निम्नलिखित स्वतंत्रताओं, शक्तियों और विशेषाधिकारों का उपभोग संविदा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन किया जा सकेगा—

(क) **प्रवेश करना और तलाश करना**—एतद्द्वारा पट्टान्तर्गत कालावधि के दौरान उक्त भूमियों पर प्रवेश करने और पापड़ खार तलाश करने, तैयार करने प्रसंस्करण करने, विनिर्मित करने, ले जाने और व्ययनित करने के लिये सब समयों पर स्वतंत्रता और शक्ति।

(ख) **भण्डार-गृहों का सन्निर्माण करना तथा उन्हें कायम रखना**—उक्त खण्ड में वर्णित किन्हीं प्रयोजनों के लिए अथवा उनके सम्बन्ध में उक्त भूमियों पर, अस्थायी भण्डार-गृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और उन्हीं भूमियों पर, अस्थायी भण्डार-गृह, उपरोक्त प्रकार के ही अन्य संकर्म तथा सुविधा-साधन सृजित, विनिर्मित, कायम तथा उपयोग करने की स्वतंत्रता और शक्ति।

(ग) **मशीनरी, उपस्कर आदि अधिष्ठापित करना**—पट्टे के जरिये प्राप्त होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के स्थापनार्थ अपेक्षित मशीनरी तथा उपस्कर का अधिष्ठापन करने हेतु, सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए फैक्ट्री शेड के सन्निर्माण की स्वतंत्रता तथा उसके लिये शक्ति।

(घ) **जल धाराओं से पानी का उपयोग करना**—उक्त खण्ड में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये अथवा उसके सम्बन्ध में परन्तु विद्यमान और भावी संविदाओं के अधिकारों के अध्यधीन और कलेक्टर की लिखित अनुमति प्राप्त करने पर, उक्त भूमियों में या उन पर अवस्थित किसी जलधारा, जल स्रोत, सोता या अन्य स्रोतों से पानी विनियोजित तथा उपयोग करने, किसी ऐसी जलधारा या जलधारणियों को मोड़ने उस पर बांध बांधने तथा ऐसे किसी पानी को एकत्रित या परिबद्ध करने और जल के लिये कोई पुलिया, नालियाँ अथवा जलाशय बनाने, सन्निर्माण करने या कायम रखने के लिये, परन्तु न तो किन्हीं कृष्ट भूमियों, ग्राम-भवनों या पशुधन के निमित्त ऐसे उचित परिमाण में जितने के

लिये वे पहले अभ्यस्त रहे हों, जल प्रदाय के जल स्थानों के सम्बन्ध में और न किन्हीं जल-जलधाराओं या स्रोतों को किसी भी प्रकार कलुषित या दूषित करने के लिये, स्वतंत्रता और शक्ति, परन्तु ठेकेदार सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना न तो किसी नाव्य जल-धारा में हस्तक्षेप करेगा और न ऐसी जल-धारा को मोड़ेगा/मोड़ेंगे।

3. भाटक और भाटक आदि के संदाय का ढंग—ठेकेदार एतद्द्वारा सरकार के साथ निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता/करते हैं—

(1) ठेकेदार इस पट्टे के प्रवर्तन काल में वार्षिक प्रीमियम की रकम का संदाय रु. .... प्रतिवर्ष की दर से करेगा/करेंगे।

(2) ठेकेदार/ठेकेदारों के उपखण्ड (3) के अधीन इस पट्टे की कालावधि में वर्ष ..... मास ..... के ..... वे दिन से प्रतिकार और नुकसानी संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार एतद्द्वारा आरक्षित वार्षिक प्रीमियम की रकम एक वार्षिक किस्त में सरकार को निदेशक के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष के लिये मास ..... के ..... वे दिन संदत्त करेगा/करेंगे।

(3) **नुकसान के लिये प्रतिकर देना और सरकार को क्षतिपूर्ति करना**—ठेकेदार, नुकसान, क्षति अथवा विघ्न जो पट्टे द्वारा अनुदत्त शक्तियों के प्रयोग में उसके/उनके द्वारा किये जायें के लिये ऐसा युक्ति-युक्त प्रतिकर देगा/देंगे तथा उन सभी दावों के विरुद्ध, जो उक्त नुकसान क्षति अथवा विघ्न के बारे में तीसरे पक्षों द्वारा किये जायें, सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे।

(4) **वृक्षों को क्षति न पहुँचाना**—ठेकेदार अपने पट्टे के क्षेत्रों में किसी भी वृक्ष को मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान अथवा उसके द्वारा प्रदत्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना न तो काटेगा/कार्टेंगे और न क्षति पहुँचाएगा/पहुँचायेगे।

(5) **सीमा स्तंभों का कायम रखना**—ठेकेदार/ठेकेदारों से सरकार उनके स्वयं के व्यय पर सीमा-स्तंभ और सीमांकन-पत्थर परिनिर्माण करने और सभी समयों पर उन्हें कायम रखने एवं मरम्मत करते रहने की अपेक्षा कर सकेगी।

(6) **स्थानों पर भवन आदि सृजित न करना**—ठेकेदार किन्हीं भी लोक विहार-स्थलों, पूजा के स्थानों, समाधियों, कब्रिस्तानों या गृहों के लिये गांव के स्थलों, लोक सड़कों या ऐसे अन्य स्थानों जिनको सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक आधारों पर इस निर्बन्धन में लाना अवधारित करें पर किसी भवन का परिनिर्माण नहीं करेगा/करेंगे या वहां कोई सतही संक्रियायें नहीं करेगा/करेंगे।

(7) **लेखें**—ठेकेदार सही-सही लेखे रखेगा/रखेंगे जिनमें अभिप्राप्त पापड़ खार की मात्रा और विशिष्टियाँ तथा नियोजित व्यक्तियों की संख्या दिखाई जाए और पट्टान्तर्गत क्षेत्र के पूरे मानचित्र भी रखेगा/रखेंगे और विभाग के किसी भी अधिकारी को किसी भी समय उक्त लेखों और मानचित्रों की जांच करने देगा और पूर्वोक्त मामले के बारे में उसे ऐसी सूचना और विवरणी देगा जिसकी कि वह अपेक्षा करें।

(8) **नियमों का पालन करना**—पापड़ खार क्षेत्रों के कार्यकरण तथा ठेकेदार/ठेकेदारों के कर्मचारियों या जनता की सुरक्षा और सुविधा का प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के बारे में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त किये गये सभी वर्तमान अधिनियमों और नियमों तथा सभी ऐसे अन्य अधिनियमों या नियमों जो समय-समय पर प्रवृत्त किये जायें, का पालन ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा किया जायेगा।

(9) **अन्य पट्टेदारों को सुविधायें देना**—ठेकेदार किसी ऐसी भूमि, जो उसके/उनके द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट है अथवा उसके साथ लगी हुई है या उसके निकट है के वर्तमान और भावी ठेकेदारों को उसमें अभिगमन के लिये युक्ति-युक्त सुविधायें देगा/देंगे।

(10) **अधिकारियों का प्रवेश करने देना**—ठेकेदार पट्टे में समाविष्ट परिसर का निरीक्षण करने के प्रयोजनार्थ विभाग के किसी अधिकारी को उस परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देगा/देंगे तथा लघु खनिजों के संरक्षण और विकास तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में उस अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करेगा/करेंगे।

(11) **ठेकेदार द्वारा बनाया गया भवन**—ठेकेदार उसे/उन्हें दिये गये क्षेत्र पर सद्भावनापूर्वक पापड़ खार का विनिर्माण करने के लिये अपेक्षित किसी भी भवन का परिनिर्माण कर सकेगा/सकेंगे और यदि ऐसा भवन राजस्थान भू-राजस्व (पापड़ खार तथा सज्जी उत्पादन क्षेत्रों का पट्टा) नियम, 1968 के खण्ड 15 (ज) के अनुसार नहीं हटाया गया तो वह भवन पट्टे के अवसान के पश्चात् सरकार की सम्पत्ति हो जायेगी।

(12) **रद्द करना**—यदि ठेकेदार सरकार की लिखित मंजूरी प्राप्त किये बिना, विनिर्माण कालों के दौरान दो महीनों की निरन्तर अवधि तक कार्य नहीं करेगा/करेंगे तो निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा ठेका रद्द किया जा सकेगा।

(13) **प्रीमियम आदि के असंदाय के परिणाम**—यदि वार्षिक प्रीमियम या भाटक की रकम अथवा पट्टे की रकम जो आरक्षित की गई हो या इस करार पत्र के अन्तर्गत संदेय ठहराई गई हो, उसके संदाय के लिये नियम तारीख तक संदत्त न की जाए तो निदेशक, पट्टेदार पर एक नोटिस बकाया रकमों को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संदाय करने के लिये देने के पश्चात् पट्टे का पर्यवसान कर सकेगा। निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पट्टे का पर्यवसान हो जाने के पश्चात् भूमि पर किसी समय प्रवेश करने और उस भूमि पर रखी हुई समस्त उपज अथवा सम्पत्ति को या उसमें से किसी को भी विनिग्रहण करने और विनिगृहीत सम्पत्ति को या उसमें से उतनी को जो कि सरकार की बकाया रकमों तथा उसके असंदाय के कारण हुई समस्त लागतों तथा खर्चों के चुकारे के लिये काफी हो सके, ले जाने या नीलाम करवाये जाने के आदेश देने का अधिकार होगा। यदि सरकार पूर्वोक्त उपायों में से किसी उपाय का उपयोग करने के लिये अग्रसर नहीं होती है और पट्टा निरन्तर बना रहने दिया जाता है तो ठेकेदार प्रीमियम की बकाया रकम पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी संदाय करने का दायी होगा। सरकार के पूर्वोक्त समस्त अधिकार उसकी बकाया रकमों को ठेकेदार/ठेकेदारों से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 या राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 के अधीन वसूल करने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

(14) **अन्य प्रसंविदाओं के भंग होने के परिणाम**—ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा किसी प्रसंविदा अथवा संविदा में अन्तर्विष्ट किसी शर्त (संविदा-धन अथवा रायल्टी से सम्बन्धित शर्त से भिन्न), चाहे इस पट्टे के इस खण्ड में या किसी अन्य खण्ड में अन्तर्विष्ट हो, का कोई भंग किये जाने की दशा में, सरकार संविदा का पर्यवसान कर सकेगी और उक्त परिसर को कब्जे में ले सकेगी अथवा अनुकल्पतः ऐसी शास्ति का संदाय अधिरोपित कर सकेगी जो कि ठेकेदार/ठेकेदारों से प्राप्त की जाने वाली संविदा की रकम के समतुल्य रकम से अधिक नहीं होगी। यदि ठेकेदार 30 दिन के नोटिस के पश्चात् उक्त भंग का उपचार करने में असफल न हो गया हो/हो गये हों तो ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(15) **संविदा के पर्यवसान होने पर परिसर का परिदान**—संविदा के अन्त में अथवा उससे पहले संविदा का पर्यवसान हो जाने पर ठेकेदार उक्त परिसर का उचित और कार्यकरण योग्य स्थिति में परिदान करेगा/करेंगे।

4. **ठेकेदारों की और प्रसंविदायें**—ठेकेदार, सरकार के साथ एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता है/करते हैं—

(1) **अन्य खनिजों के कार्यकरण में बाधा न डालना**—ठेकेदार एतद्द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं और शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग करेगा/करेंगे कि इस संविदा में सम्मिलित न किये गये किन्हीं भी खनिजों की उक्त भूमियों में विकास तथा कार्यकरण में आवश्यक अथवा युक्ति युक्त रूप से परिहार्य बाधा अथवा विघ्न हो तथा हर समय केन्द्रीय और राज्य सरकारों को तथा किसी पार्श्वस्थ भूमि और उक्त भूमियों, यथास्थिति के भीतर किन्हीं ऐसे खनिजों के लिये पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों अथवा खनन पट्टों के धारकों को उक्त खनिज प्राप्त करने, उनका खनन और विकास करने एवं उन्हें ले जाने के प्रयोजनार्थ उन खनिजों तक पहुँचने के लिये उचित साधन तथा उक्त भूमियों पर और उनमें होकर जाने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग देगा/देंगे, परन्तु ठेकेदार किसी भी ऐसे नुकसान अथवा क्षति के लिये जो पट्टेदारों अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा उक्त मार्ग के प्रयोग के कारण अथवा परिणाम स्वरूप उठायें, युक्ति युक्त प्रतिकर प्राप्त करेगा/करेंगे।

(2) **संविदा के पर्यवसान के पश्चात् 6 मासों से अधिक समय तक छोड़ी गई सम्पत्ति का समपहरण**—यदि उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अथवा उसका पर्यवसान पहले हो गया तो ऐसे पर्यवसान के पश्चात् 6 कलेण्डर मासों का अवसान हो जाने पर कोई एंजिन, मशीनरी, सयंत्र, भवन, संरचनायें, ट्राम्बे रेलवे एवं अन्य काम, परिनिर्माण और सुविधाजनक वस्तुयें अथवा अन्य सम्पत्ति उक्त भूमि में या पर रहेंगे जो कि ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा उक्त भूमियों के उन भागों में जो कि सरकार द्वारा अनुदत्त संविदा के अधीन उसके/उनके द्वारा धारित नहीं है अथवा किन्हीं अन्य भूमियों में जो कि सरकार द्वारा अनुदत्त संविदा के अधीन उसके/उनके द्वारा धारित हैं, उसके/उनके संक्रियाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित नहीं है, वे किसी प्रतिकर का संदाय करने के लिये किसी दायित्व के बिना, सरकार की सम्पत्ति बन जायेंगे अथवा ऐसी रीति से बेचे या व्ययनित किये जा सकेंगे जैसा कि सरकार उचित समझें।

5. **ठेकेदार की अतिरिक्त प्रसंविदायें**—ठेकेदार सरकार के साथ निम्नलिखित रूप में अतिरिक्त प्रसंविदा/प्रसंविदायें करता है/करते हैं—

(1) ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा विक्रीत या विक्रय के लिये आशयित पापड़ खार या किसी परिरूपित पैदावार के नमूने या नमूनों को वह/वे सरकार के प्रतिनिधि को परिदान करेगा/करेंगे या उक्त प्रतिनिधि द्वारा लिये जाने की अनुज्ञा देगा/देंगे।

(2) **अधिभोग में रखी हुई भूमि पर प्रवेश से प्रवरित रहना**—ठेकेदार संविदा के क्षेत्र में समाविष्ट किसी अधिभोग में रखी हुई सरकारी भूमि अथवा किसी निजी भूमि के धरातल पर अधिभोगी की पूर्व लिखित सम्मति अभिप्राप्त किये बिना प्रवेश करने से प्रविरत रहेगा/रहेंगे।

(3) **सड़क आदि में बाधा न डालना**—ठेकेदार किसी सड़क मार्ग अथवा किसी प्रकार के उपमार्ग को खुला रखेगा/रखेंगे तथा उसमें किसी तरह की बाधा नहीं डालेगा/डालेंगे।

(4) **जनता तथा सरकार को तालाबों, जल सरणियों आदि का अबाध उपयोग करने देना**—ठेकेदार तालाबों, जल सारणियों पूजा के स्थानों, समाधियों, कब्रिस्तानों और गृहों के लिये गांव के स्थलों में, जो अभी विद्यमान है या जो एतत्पश्चात् इस प्रयोजनार्थ

पृथक् किये जायें या विनियोजन किये जायें, जिनके लिये पट्टान्तर्गत क्षेत्र में एतस्मिन पूर्व उपबंध किया गया हो, सब प्रकार के हस्तक्षेपों से प्रवरित रहेगा/रहेंगे तथा उनका जनता और सरकार को अबाध प्रयोग करने देगा/देंगे।

(5) **भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये न करना**—ठेकेदार न तो भूमि पर कृषि करेगा/करेंगे और न उसे एतद्द्वारा अनुदत्त किये गये अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोजन के सिवाय अन्य उपयोग में लेगा/लेंगे।

(6) **अन्यथा आरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश और संक्रियाओं का प्रारम्भ न करना**—ठेकेदार अन्यथा आरक्षित किन्हीं क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा/नहीं करेंगे और समुचित प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना पट्टान्तर्गत क्षेत्र में कोई अन्य खनिज संक्रियायें प्रारम्भ नहीं करेगा/नहीं करेंगे।

(7) **जलाधिकारों पर आघात नहीं करना और लगी हुई किसी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाना**—ठेकेदार जल शक्ति या जल प्रदाय के किन्हीं भी स्रोतों को क्षति नहीं पहुँचाएगा या न उनका क्षय करवायेगा और किसी सोता या जलधारा को उपयोग के लिये किसी भी अन्य प्रकार से अनुपयुक्त नहीं करेगा या लगी हुई भूमियों, ग्रामों अथवा मकानों को क्षति पहुंचाने के लिये कोई कार्य नहीं करेगा।

(8) **संविदा की समाप्ति पर अवशिष्ट पड़ा हुआ स्टाक**—ठेकेदार संविदा के पर्यवसान पर समस्त निस्सारित पापड़ खार पट्टान्तर्गत क्षेत्र के परिसर से एक मास की कालावधि के भीतर इस शर्त के अध्यधीन हटाएगा/हटाएंगे कि आने वाले ठेकेदार के सुचारु रूप से कार्यकरण में किसी भी प्रकार हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा और यह कि सरकार की समस्त देय रकमें उस समय तक चुका दी जाएगी। संविदा के पर्यवसान के पश्चात् अगले एक मास की इस कालावधि के बाद तक अव्ययनित रखा हुआ समस्त पापड़ खार परस्पर तय किये गये विक्रय मूल्यों पर नये ठेकेदार को सौपना पड़ेगा। मूल्यों के सम्बन्ध में मतभेद की दशा में समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

परन्तु यदि नया ठेकेदार/नये ठेकेदार को स्टॉक को व्ययन करने के निमित्त कब्जा देने के लिये रजामन्दी से सहमत हो जायें तो पुराना ठेकेदार स्टाक का व्ययन इस भांति करेगा जैसा कि पुराने और नये आने वाले ठेकेदारों के बीच में परस्पर सहमत हुआ हों।

6. इस अनुबन्ध के पक्षकार एतद्द्वारा निम्नलिखित करार और करते हैं कि—

(1) **समुदेशन**—ठेकेदार, निदेशक की लिखित अनुज्ञा के बिना इस संविदा को समनुदेशित शिकमी-पट्टे या उप पट्टे पर नहीं देगा/नहीं देंगे या पट्टान्तर्गत क्षेत्र या उसके भाग के कब्जे को अलग नहीं करेगा/नहीं करेंगे।

(2) **राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम के अधीन वसूली**—इस संविदा के किसी उपबन्ध द्वारा अथवा किसी विधि द्वारा प्राधिकृत वसूली के किसी अन्य ढ़ंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार द्वारा एतदधीन देय होने वाली सभी रकमें राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम 5) कि उपबन्धों के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(3) **करों का संदाय**—ठेकेदार पट्टान्तर्गत क्षेत्र के अथवा पापड़ खार के विनिर्माण के बारे में समस्त कर, उपकर और स्थानीय कर समुचित प्राधिकारी को सम्यक् और नियमित रूप से संदत्त करेगा।

(4) **युद्ध अथवा राष्ट्रीय आपात की दशा में कार्यवाही**—युद्ध अथवा गम्भीर राष्ट्रीय आपात की स्थिति के अस्तित्व (जिनके होने की एकमात्र निर्णायक सरकार की होगी और राजस्थान

राज-पत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चायक सबूत होगी) होने की दशा में सरकार को उक्त अवधि के दौरान सब समयों पर उक्त भूमियों पर अथवा उक्त भूमियों या इस संविदा के अधीन संक्रियाओं के सम्बन्ध में उपयोग के लिये अभिप्रेत, ठेकेदार/ठेकेदारों के संकर्मों संयंत्रों, मशीनरी और परिसर के तत्काल कब्जे और नियंत्रण में लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग ठेकेदार/ठेकेदारों को लिखित में नोटिस देकर किया जायेगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान ठेकेदार उक्त संकर्मों, संयंत्रों, परिसरों और रसायनों के उपयोग अथवा नियोजन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अथवा सरकार की ओर से दिये गये समस्त निर्देशों के अनुरूप चलेगा/चलेंगे और उनका पालन करेगा/करेंगे।

(5) (क) यदि ठेकेदार इस संविदा के अधीन उसके/उनके द्वारा अनुपालित की जाने वाली प्रसंविदा को भंग करता है/करते हैं तो सरकार इस संविदा के अधीन ठेकेदार/ठेकेदारों द्वारा संविदा धन के रूप में निक्षिप्त की गई .....रुपये की सम्पूर्ण रकम अथवा उसके किसी भाग का समपहरण कर सकेगी।

(ख) जब कभी उक्त संविदा की निक्षिप्त रकम अथवा उसका कोई भाग अथवा उक्त निक्षिप्त रकम की क्षयपूर्ति में सरकार के पास एतत्पश्चात और निक्षिप्त की हुई कोई रकम उपखण्ड (क) के अधीन समपहृत करली जायेगी अथवा इस संविदा के अधीन सरकार द्वारा उपयोजित कर ली जायेगी (जिसे करने के लिये सरकार एतद्द्वारा प्राधिकृत है) तो ठेकेदार सरकार के पास तुरन्त ऐसी और रकम निक्षिप्त करेगा/करेंगे जो उक्त निक्षिप्त रकम के अविनियोजित भाग सहित सरकार के पास निक्षिप्त रकम को ..... रुपये की रकम करने के लिये पर्याप्त हो।

(ग) इस खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकार इस संविदा के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा अथवा किसी भी विधि द्वारा सरकार को पदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7. इस संविदा में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "विभाग" से उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग अभिप्रेत है।

(ख) "निदेशक" से निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उसके कृत्यों में से कोई भी कृत्य करने के लिये उसके द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत कोई भी अधिकारी आता है।

(ग) "सरकार" के अन्तर्गत सरकार का वही अधिकारी आता है जिसे सरकार की कोई भी शक्तियाँ विधिपूर्वक तत्समय प्रत्यायोजित की गई हो।

8. सब रकमें जो एतद्धीन सरकार को देय होती है, चाहे पट्टे की रकम के रूप में अथवा अन्यथा, राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 15) अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 15) के उपबंधों के अनुसार भू-राजस्व की बकायों के रूप में वसूल की जा सकेगी और यह कि यह अधिकार एतस्मिन अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों द्वारा पदत्त अधिकारों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा और पट्टेदार तथा प्रतिभू दोनों के दायित्वों के बारे में काम में लिया जाने योग्य होगा।

निदेशक, उद्योग एवं नागरिक रसद विभाग, राजस्थान, जयपुर।

(साक्षी) ठेकेदार/ठेकेदारों के हस्ताक्षर पूरे पते सहित

साक्षी

❑❑❑